

शेडर

8/8/19

पत्रावली पैरा ड्रॉ। क्लीर वादी न वादी उपस्थित
नहीं। न्यायालय समय में कई बार आवाज
लगाये जाने पर भी क्लीर वादी व वादी कोई
भी उपस्थित नहीं आये। पत्रावली अदम पैरनी
अदम राजी में खारिज की जाती है। पत्रावली
फैसला न्यायालय शेडर बाद तबतीब तकमील
दखिल कप्तम हो।

सहायक क्लर्क एवं
कार्यालयक मजिस्ट्रेट
कोटा

